"श्रीमति सोहन बाई" (खनन पट्टा संख्या 10/2019) की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 11.10.2022 समय 11.30 प्रातः

यह जनसुनवाई श्रीमान ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता एवं श्रीमान शरद जी सक्सेना, क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की गयी। जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं जय राजस्थान में दिनांक 07.09.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"श्रीमति सोहन बाई"** द्वारा प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 10/2019 लीज क्षेत्र 3.9324 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 68.3018 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1,71,756 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 11,24,151 TPAनिकट ग्राम–खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 315 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 01.10.2021को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "अ"** में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार **(फुलग्रे)** द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्न "ब"**के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:—

1. **श्री देवी सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी**

   आज से जितनी भी माईन्स वैद्य है उनका एक खाम की मादडी तिराहे या मुख्य गॉव में एक बोर्ड लगाकर उन माइन्सो के नाम लिखवाए जाए और उनके कोन्टेक्ट नम्बर लिखवाए जाए जिससे गॉववासीयों को मालूम पडे कि कितनी माईन्से वैध है और कितनी अवैध चल रही है यह आम पब्लिक/नागरिक को मालूम चले। अवैध चल रही है उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके। दुसरी बात यह है कि पर्यावरण सम्बंधी आज से पहले जितनी भी माईन्से वैध है एक भी पेड पौधा नही लगाया यह भी बात एक महीने पहले हुई थी उसके विषय में भी आपकी टीम कोई ऐक्शन नही किया और न कोई जॉच की आपकी टीम मे से अगर कोई निरीक्षण करना चाहे तो माईन्स पे या रोड के किनारे या माईन्स के आस पास एक भी पेड पौधा लगा हुआ नही है। और जो साडे चार वाले एल.टी—4 ब्लास्ट जारी है और ना कोई पानी छिडकता है पानी छिडकने की बात थी। चौथा पोइन्ट यह है की खाम की मादडी उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लास्ट से यह बिल्डिंग जर—जर हो गई है, तो माईनिंग वाले कुछ फण्ड स्कूल के नाम पे भी दे तो इस स्कूल की मरम्मत, अन्दर हॉल में जा के देखो मिट्टी कि पुरानी दरारे आ रही है, कभी भी गिर जाएगी तो जनहानी होगी। गए टाईम में हियरिंग हुई थी उसकी एक भी कोई हमारी सुनी नही गई और अब जो माईन्स लगाऐंगे वो तो अब करेंगें उनको जो करना है पेड़ पौधे लगावें जो भी पहले वालो की एक भी सुनवाई नही की गई इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ की हमारे गॉव वालो कि समस्या सुनी जाए और गॉव में जो भी विकास माईनिंग की तरफ से हों तो गॉव में एक ऐसी समिति बनाई जाए उसके माध्यम से गॉव में विकास हो।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

2. श्री पियुष सुथार,ग्राम खाम की मादड़ी

मैं माईन्स से करीब 200 मीटर कि दूरी पर रहता हूँ अच्छा है कि सरकार ने माईन्स हमारे घर पर लगाई है हमे बहुत फायदा होता है रोजगार भी जल्द मिल जाता है जिससे चॉदी बरस रही है हमारे गॉव में पानी तो पहले पचास प्रतिशत ही अच्छा मिलता था अब सौ प्रतिशत ही अच्छा मिलने लग गया है, माईन्स कि वजह से पहले सड़क नही थी अब अच्छी अच्छी सडके बन गई है माईन्स कि वजह से इतनी अच्छी अच्छी सुविधा है आज हमे कहना पड रहा है कि माईन्स वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन कहता है कि मकान गिर रहे है तो आपने सीमेंट अच्छी वाली यूज की है। अभी मुझे देखने को यह मिल रहा है कि माईन्स की तरफ से कोई मालिक आया ही नही है तो माईन्स तो हम ही लोग चला रहे है। आज यही परेशानी है तो कल क्या होगा, रात को दस बजे माईन्स से गाडिया निकलती है क्या पता कौन बैठा है उन में और हम उन्हे ही देखते है, रोड कहा बनी है जहॉ माईन्स दी गई माईन्स का आने जाने का रास्ता बनाया होगा किसी ने जो माईन्स का पानी इक्टठा होता है वो कहा जाता है और दूसरा पानी बहुत अच्छा आने लग गया है, नजदीकी डेन्टल कॉलेज से संपर्क करो तो फासफोरस कि मात्रा बिलकुल है ही नही किससे शिकायत करे मेरा तो आज का मोटिव है कि साडें ग्यारह बजे राज्यपाल सर आने वाले है और शाम को बांसवाडा जाने वाले है तो हम मिलेगे उनसे क्योकि यह काम गॉव वालों ने किया, अधिकारी तो अच्छे है क्या कहे उनके बारे में लोकतंत्र बचा ही नही किसके लिए शिकायत करे शिकायत करने वाले भी हम ही है माईन्स वाले कुछ करते ही नही है। मैं तो कहता हूँ आप इन सब के नाम की एफ.आई.आर दर्ज करवाओं इन लोगों ने माईन्स चालू की है नही तो माईन्स वालों को परेशान करते है यह सब अच्छे है माईन्स वाले सब अच्छे है किसी की कोई गलती नही है, हम लोगों की गलती है यहॉ आकर बस गई। एक आम आदमी को साँस लेने कि जो ऑक्सीजन होती है वह सही मात्रा सही से नही मिल पा रही है आप इसका राजस्व रिकार्ड बायों डाटा देखना चाहे आए तो आंगनवाड़ी से सर्च करके देख सकते है कितना प्रदूषण का शिकार हुए है। यह की माईन्स के पास एक स्कूल है जो काफी पिछड गया है मुझे कहना नही चाहिए पर जो जो एस.सी.एस.टी के लोग है वो काफी पिछड गए जिनको आज राज्यसभा, रोड तक पास नही कर पाई आप अधिकारी है आप के साईन तो बहुत बडी बात है क्या आप हमारा समर्थन करेगे पीछे जो बोर्ड लग रहा है उसमे 2011, 2005 से माईन्स चालू है और आज 2022 है।

श्री.ओ.पी बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर

देखो आप अपनी बात कह दो माईनिंग वाले पहुँच ही रहे है वह अपना जवाब देगे और आप जो कह रहे यह भी अच्छा है वो भी अच्छा है ऐसा है आप बेहस बाजी की जरुरत नही जो पोईन्ट है वह बोलो वो रिकॉड़िग हो रही है आपको कोई प्रोब्लम नही है। तो आप बैठ जाओ जो भीं कहा है साफ–साफ कहिए। आज हम आए है कोई

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

X,Y,Z माईन है उनकी पर्यावरण स्वीकृति जारी हो या नही जारी हो उसमें अपने को क्या आपत्ति है एक बात तो यह है। यह जो बात है जो दूसरी कि बाकी माईन्स ने जो पिछली बार कि बात है उनको आपने (श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर) नोटिस जारी किये थे माईनिंग वाले भी आऐंगे तो बताऐंगे उनमे क्या हुआ क्या नही हुआ लेकिन उसमें फिर भी समस्या है तो वो भी लगा सकते हो लेकिन उससे यह जो अभी कि माईन वाले है इसका कोई प्रभाव नही पड़ रहा आप तो इसके लिए स्पेशली बोलोगे बाकि में भी काम नही कर रहे यह भी नही करेगा हमे पूरी आपत्ति है, तो वहा से हम करे बाकी का तो कुछ नही यह तो अपने हाथ में ही है तो इसका भी रिकॉर्ड हम भेजे की इसको तो रखे अब अपने इसको जो मेने मुद्दे को बोल रहे है और बाकि चीजों पर आ रहे है पिछली बार भी यही किया था माईन है जिसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिए सुनवाई हो रही है उसके बारे में अपने को क्या करना है और दूसरा फिर यह साहब यह यह पालना नही हो रही उसके लिए आप ही बताओ जैसे आपने जो जिन जिन को नोटिस भिजवाए और माईनिगं वाले भी पहुँचेगे तो वो भी अपना बताऐगे कि उन्होने क्या कार्यवाही कि की नहीं की।

श्री पीयूष सुथार ग्राम खाम की मादडी

सर पहली तो मेरी माँग यह है कि यह जो ब्लास्ट होता है भूकम्प से यत्र लगाया जाए और मैं जहा रहता हूँ एक लोहे का गेट लगवाया जाए जिससे कि बड़ी गाड़ी अन्दर ना जा पाए माईन्स का एक ऑथन्टिकेट रास्ता है वही से गुजरे दूसरा यह है कि बिल्कुल भी पौधे नही लगाए ,तीसरा जल्द से जल्द पानी कि जॉच करवाए पानी इतना खराब हो चुका है कि कोई लिमिट ही नही, चौथा जो एस.टी.एस.सी. का इसका है कि जो स्कूल है उसकी कोई व्यवस्था नही है चाहे तो आप अभी जा के देखे या कल परसों देखे या उच्च अधिकारी से जाँच करवाए यहा कोई व्यवस्था नही है बेचारे लोग कितने सेरीयस कन्डीशन से रह रहे है कि कुछ कह नही सकते, और जाने आने का रास्ता इतना खराब हो चुका है कि क्या कहे और बाकि बहुत सी ऐसी चीजें है रात को ऐसी ऐसी गाड़िया निकलती है परेशान हो गए है और थाना एफ.आई.आर दर्ज नही करती कहते है, सीमेंट है रास्ता है आम रास्ता है क्या करे किससे जा कर कहे कि यह हो वो हो कोई अधिकारी नही समझ रहा और रात के समय माईन्स बन्द करवा दो शाम 6 बजे से बंद और माईन्स का पानी है वो खेतो में सप्लाई के लिए भेजो तुरंत बिना फालतू इधर उधर डालते है नही सबकों पानी मिलना चाहिए। धन्यवाद

पर्यावरणीय सलाहकार (फुलग्रो)

जो आपका ब्लास्टिंग का ईश्यू है ब्लास्टिंग के लिए ई.एम.पी में जो ड्राफ्ट किया है उसमे डिलेटेकनीक युज कर रहे है जिसमें क्या होता है आप बहुत सारा एक्स्प्लोसिव डायनामाईट यूज कर रहे हो उसका इम्पेक्ट आपका बहुत ज्यादा आएगा लेकिन वही डायनामाईट को रेगुलर टाईम इन्टरलिन के बाद धीरे –धीरे एक्स्प्लोसिव मेटेरियल कम रहे और उसको एक टाईम के बाद में देते उसके बाद में उसका इम्पेक्ट रहेगा वो कम रहेगा हम यह इन्श्योर रहे कि जो आपकी ब्लास्टिंग हो वो दोपहर के समय हो तीसरा

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

उसका यह रिजन है कि जब आप ब्लास्टिंग करें तब एक डेंजर ब्लो होर्न होता है उसको साउन्ड करे जिससे 500 मीटर के रेडियस में कोई भी आदमी हो कोई जानवर कोई भी नही आएगा अब दूसरा इसमें पानी का, पानी क्या है इसमें की यह एक सतही खनन योजना है अण्डर ग्राउन्ड नही है सतही खनन योजना में इसमें जो आपका मिनरल है क्वार्टज फैल्स्पार है वो पानी के साथ ग्राउन्ड वॉटर के साथ इन्टरसेप्ट कर नही रहा और जब आपका सरफेंस का पानी बेलेंस है तो वॉटर क्वालिटी इससे खराब नही होगी इसमें उल्टा होगा जब 1–2 साल बाद आपकी माईनिग हो गई जो उस पिट में जो आप का बारिश का पानी स्टोर होगा उससे वो आपके ग्राउन्ड वॉटर को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा स्टोर होगा उसी पानी को डस्ट पार्टिकल के लिए छिड़काव के लिए भी काम में ले सकते है। पानी आपका टेंकर से ले रहे है बोरवेल से नही लिया जा रहा और इसमें पानी का कोई यूज ही नही होता है वह पानी नहाने और कपड़े धोने के काम में लेगा या छिड़काव के काम में लेगा तो ग्राउन्ड वॉटर उससे डिस्टर्ब नही होगा ।

3. श्री संतोष सिह राव ग्राम खाम की मादडी

माईनिंग वालों से यह शिकायत है जैसे कोई भी कम्पलेन करते है दो नम्बरी वाला हमारा पहले इन्टिमेंशन करा देगे ताकि वो बाद में हम से मारपीट पे उतर आते है तो ऐसे कोई भी गुप्त अगर शिकायत करता है उसको माईनिंग से ओपन नही किया जाए सबसे पहले यह हमारी सुनवाई होनी चाहिए ताकि उस आदमी को मारपीट का खतरा नही लगे यह आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इसमें उचित कोई कार्यवाही करें।

4. श्री करण सिंह राव ग्राम खाम की मादडी

मेंरी एक अर्ज है ये जो फैक्ट्री वाले जो माल इलिगल खरीद है ओवर टन गाडियाँ जा रही है जैसे 16 टन की गाड़ी तोल के भेजते है दो पहिए कांटे से नीचे रखते है फिर गाड़ी जाती है इन्हे फूल लोड वापिस तो हर तरह से माईनिंग वालों को भी नुकसान है और गांव वालों को भी गाड़ियाँ ओवरलोड चलती है वहाँ से सम्पर्क हो जाए जो फैक्ट्री वाले इलिगल माल लेते है तो उन से भी काफी सुधार हो जाएगा। एक सर ये माइंसो मे पानी भरा हुआ है अब यह जो वेस्टेज बहाते है इनको कहते है टाइम वेट करे क्योकि पानी की सुविधा नही है तो छोड़ के भाग जाते है, ये वेस्टेज पानी को थोड़ा रुकवा दो। धन्यवाद।

5. श्री देवी सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी

सर हमारे ईधर एक पार्टी उनका माईन्स है चारागाह भूमि में उसकों अलोट की गई तो यह हम आप सभी से जानना चाहते है कि किस नियमों कानून के उपर उसको अलोट किया है तो उस माईन्स को निरस्त करने की कार्यवाही करें।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

6. श्री राय सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी

मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्व में संचालित माईन्से है और वर्तमान में माईन्से थी आने वाले भविष्य में माईन्से चालू होने जा रही है सड़क गाँव के बीचो बीच निकल रही है आबादी क्षेत्र है वायु प्रदूषण की और जल प्रदूषण की विकट समस्या यह विवचन किया जाता है कि इतना बजट पानी के छिड़काव में लगाया जाए इतना बजट वृक्षारोपण पर लगाया जाएगा। लेकिन जब से संचालित थे नियम के समान लागू जब से चालु है दस साल पन्द्रह साल बीस साल एक भी पेड़–पौधें शायद ही किसी ने लगाया होगा और नए रोड़ के उपर छिड़काव किया हमारा रोड़ के उपर मकान है आधे गॉव का लेकिन रात को ना कोई बाहर सो सकता है ना कोई कपड़े ,धो कर सुखा सकता है रहना बडा मुश्किल इसका पुख्ता इन्तजाम किया जाए कि पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है सर यह जो भी चालू करते है यह प्रावधान किया जाए कि पानी का छिड़काव नियमित हो इस तरीके से होना चाहिए इसका प्रारूप होना चाहिए ताकि आबादी क्षेत्र में जो लोग बस रहे है वो सांस की दिक्कत है हर तरह से दिक्कत है यह हम भुगत रहे है हमारी जगह यदि कोई अधिकारी गंण हो तो चले कि वास्तविकता क्या है ।

श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर

एक मेरा सुझाव यह है अगर दस–बारह माईन्स ओनर है यहा पे यह आप लोगो को किसी को मतलब इनको करने बजाए इनमें एक व्यवस्था कर दे की दस– बारह माईन्स ओनर है आप चलाओगे, आप चलाओगे तो आप ध्यान रखोगे की कहा छिड़काव करना है क्या नही करना है क्योकि यह लोग तो हो सकता है बाहर के है एक दिन करेगें दो दिन नही करेगे आपको दे–दे काम यह गाँव के लोग है उन्ही को यह काम दिया जाए कि छिड़काव लीगल रुप से करते रहे अगर यह काम आप को दे दिया जाए तो आप कर दो तो कोई समस्या नही रहेगी अगर आप कर पाओं तो आप को दे दिया जाए आपकी दो ही समस्या है एक तो आपके सड़को की है बहुत धुल उड़ती है और प्लांटेशन नही है ।

श्री राय सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी

जो हमारे स्थानीय गॉव में पानी के टेंकर वाले है उनसे विभाग द्वारा अनुबंधित कर दिया जाए।

श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर

यह हम ऑफिशियली काम नही कर रहे है यह हम अनऑफिशियली कह देगें कि आपसे ही काम करवाएँ उसके अन्दर प्लान्टेशन भी हो जाएगा आप ही लोग करोगे इससे समस्या सोल्व हो जाएगी हम ट्राय करेगें।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

7. **श्री देवी सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी**

यह अगर माईन्स चालू होती है तो यह गाँव से दूर है वैसे इस माईन्स से हमे कोई प्रोबल्म नही होगी क्योंकि यह माईन्स गाँव से दूर होने से हमे कोई आपत्ति नही होगी।

8. **श्री मोहन सिंह राव, ग्राम खाम की मादडी**

पहले जितनी भी माईन्स हुई है उनमे जनसुनवाई नही हुई इसलिए वो कुछ भी कर रहे और आज भी कर रहे है सभी माईन्स चलाने वाले बाहर के है यहा के कोई है ही नही। ना नियम कानून का हमे कुछ पता है माईनिंग के क्या–क्या नियम है अच्छी बात है माईन्स अलोटमेन्ट होती है तो उसके नियम का पालन करते है और गांव से मकान से दूर है हमे कोई आपत्ति नही रोजगार भी मिलता है दो पैसे वो भी कमाते है लेकिन सब नियम का पालन करे जो ताकि गांव वालो को असुविधा होती है माईन्स के अन्दर वो नही होनी चाहिए उनको ध्यान रखना चाहिए तो इस बारे में कई बार हमने कहा कि हमे जानकारी मिली की आप माईन्स लगाते हो गाँव में कुछ काम होता है छोटा–मोटा काम होता है धार्मिक या शिक्षा के सम्बन्धी तो आप उसकी मदद भी करते हो आज दिन तक ना तो उन्होने एक पेड़ लगाया और ना कभी एक टेंकर पानी का छिडकाव किया बहुत परेशान है हम कई बार शिकायत भी की एक बार हम व्यक्तिगत भी मिले वो कहते है कि हम तैयार है। माईन्सो वालो पर पहले से नियम लागू है पर उनको कुछ सुझी ही नही है बस अपनी कमाई करके ले गए वो और शायद माईन्से बहुत डीप चली गई है तो कोस्ट और प्रोडक्शन थोडा महंगा पड़ता है इसलिए शायद थोडा ठप भी है फिर इलीगल हो गए उनको उनका इलीगल जितना भी माल है वो रात को ले जाते है। कितनों का माल कम बिकता है और रात में कभी भी ब्लास्ट करते कभी क्या करते है कौन किसकी निगरानी रखेगा जंगल है यह मेरा तो निवेदन यह है कि कोई भी माईन्स अलोट होती है चलती है हमे कोई आपत्ति नही पर शर्त यह है कि वो नियम का पालन करे जैसे कोई एल.टी 4 वाले माईन बलास्ट किए थे हमारे गाँव में शिकायत आई उन्हे रूकवाई भी कार्यवाही भी की माईन्स भी बन्द करवाई थी बस यह नही होना चाहिए माईन्स वालो को नियमों का ध्यान रखना चाहिए। गांव वालो को कोई भी तकलीफ नही होनी चाहिए गांव में कोई माईन्स है तो दो पैसे का रोजगार मिलेगा मेरा निवेदन यह है कि पहले वाले माईन्स वाले ने एक भी नियम का पालन नही किया और ना वो हमारी सुनते है और शिकायत करे तो कहा करे, ऐसे ही होता है वो परेशान करते है तो आप लोग भी परेशान होते हो हम भी होते है अब जो माईन्स अलोट होती है नियम का पालन करता है नियम से चलाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री ओ. पी. बुनकर जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), उदयपुर

ने अन्त में बताया कि (माईन्स फोरमेन श्री राकेश जी से कहा) पिछली बार भी कहा था कि यह जितनी भी माईन्स है उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत को और तहसीलदार को उपलब्ध करवाओगे। वापस, आज कि तारीख में कौन–कौनसी लीज है क्या है क्या नही है और आप मुझे एक रिपोर्ट दोगे पहला कि क्या फिगर लगेगा इलीगल जो भी आपकी इलीगल सेन्शन माईन्स हो जिसके फिगर नही मिल रहे हो उसके खिलाफ कार्यवाही करे, दूसरा जो माईन्स से मेन रोड तक आने जाने का रास्ता है वो तहसीलदार जी से चेक करवाओ कि वो लीगल रास्ता है या ऐसे ही है उसमें आप को देखना है कि पानी का छिडकाव कौन कर रहा है एक–एक पोईन्ट आपको मुझे लिख के देना है चौथा यह है कि ब्लास्ट का जिन–जिन को समस्या है कि किस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है और यह कह रहे है कि एक भी पेड़ पौधा नही लगाया हुआ है कितने पेड़ किसको लगाने थे और किसने कितने लगाए क्योंकि कोई भी आज की माईन नही है इसके अलावा अगर कोई आपत्ति हो तो बताए।

9. श्री पीयूष सुथार, ग्राम खाम की मादडी

जो माईन्स है जहॉ अलोट कि हुई है माईन्स उसके अटेच में जो खेत है उनको भी यह कॅवर कर रहे है बेचारे उन गरीब लोगो को तो वो माईन्स भी उपयोग में नही आ रही है उस पर थोडा सा फोकस करे।

10. श्रीमती सोहन बाई माईन्स ऑनर

ने आश्वासन दिया कि पानी का छिडकाव करेंगे। पौधे भी लगाएंगे जो भी नियम है उसके खिलाफ हम नहीं चलेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर

ने निर्देशित किया कि पानी के टेंकर पर जीपीएस लगाया जाए जिससे लोकेशन का पता रहे एवं कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे कि पानी का छिडकाव नहीं हो रहा है। सारे के सारे कलस्टर वहां मिलकर काम करें। सब पानी के टेंकर के जीपीएस लगवा दिए जाए ताकि यह शिकायत वापस नहीं आएगी जितना भी ऐरिया है वह क्लस्टर के हिसाब से है। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि पानी का छिडकाव स्थानीय लोगों के टैंकर द्वारा करवाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं जिससे सड़क सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे।

श्री ओ.पी. बुनकर जी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर

ने अन्त में बताया कि आप और कोई सुझाव देना चाहे तो ऑफिस के टेलीफोन नम्बर पर दे सकते है। ई–मेल आईडी पर दे सकते है लिखित में देना चाहे तो लिखित में दे सकते है। जिन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करके वह रिपोर्ट राज्य सरकार को

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

भिजवायी जावेगी जिससे वह तय करेगी कि पर्यावरण स्वीकृति देय है या नहीं हमारा मकसद यह है कि आपकी बात आगे तक पहुंचाने की है। इसकी विडियो रिकॉर्डिन्ग हुई है। सीडी भी साथ जाएगी और भी कोई बात हो तो लिखित में या मौखिक रूप से मेरे कार्यालय में कन्ट्रोल रूम में वहां पर दे सकते है। ई–मेल करवा सकते है।

11. माईन्स ऑनर श्रीमती सोहन बाई

ने बताया कि हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आएगी। श्री भीमसिंह ने बताया कि उसकी 150 बीघा जमीन है उसके पास में बिलानाम जमीन है उसमें से हमारी जमीन में जाने का रास्ता दिया जावे। एडीएम साहब ने बताया कि संबंधित से बात कर लेना। यह माईन्स से संबंधित इश्यू नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., उदयपुर

ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

श्रीमती सोहन बाई, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स (एम.एल. सं. 10/2019 क्षैत्रफल–3.9324 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1,71,756 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टज एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 11,24,151 TPA निकट ग्राम–खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 11.10.2022 को 11:30 AM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाम की मादडी में श्रीमती सोहन बाई, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	ओ० पी० बुनकर	ADM (A)	[illegible]
2	[illegible]	RO RPCB Udaipur	[illegible]
3	Dr. Aditi Solanki	SO, RPCB Udaipur	[illegible]
4	[illegible]	TDR	[illegible]
5	C. P. Jeengar	O.S. RPCB Udr	[illegible]
6	Madan Singh	ICR Rev. Khemli	[illegible]
7	रघु पानेरी	पटवारी	[illegible]
8	भूरा सिंह S/o शिव सिंह	खाम कि मादड़ी	[illegible]
9	भंवर सिंह S/o मोहन सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
10	रघुनाथ सिंह S/o मोड़ सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
11	भंवर सिंह S/o खेम सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
12	पन्ना सिंह S/o लाल सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
13	सन्तोष सिंह राव S/o [illegible] सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
14	पियुष सुथार S/o बाबुलाल सुथार	खाम कि मादड़ी	[illegible]
15	करण सिंह S/o [illegible] सिंह जी	खाम कि मादड़ी	[illegible]
16	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]	[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18	गोविन्द सिंह S/o हिरसिंह	खाम की माद्दी	[illegible]
19	सोहन बाई W/o सोहन सिंह	खाम की माद्दी	[illegible]
20	तख्त सिंह S/o भंवर सिंह	खाम की माद्दी	[illegible]
21	भीम सिंह S/o भंवर सिंह	खाम की माद्दी	[illegible]
22	[illegible] S/o [illegible]	— " —	[illegible]
23	[illegible] S/o [illegible]	— " —	[illegible]
24	नरेन्द्र सिंह S/o [illegible]	— " —	[illegible]
25	[illegible] S/o [illegible]	— " —	[illegible]
26	मोहनगिरी	— " —	[illegible]
27	राजेन्द्र सिंह S/o [illegible]	— " —	Rajendra
28	बख्तावर सिंह S/o [illegible]	— " —	[illegible]
29	साईल सिंह S/o मान सिंह	— " —	[illegible]
30	राय सिंह राव	— " —	[illegible]
31	कान सिंह राव S/o भीम सिंह राव	— " —	[illegible]
32	भरत डांगी	— " —	भरत
33	रमेश गेदावत	खान एवं भूविज्ञान विभाग	[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

ज्योति

PG08

जलझूलनी एकादशी पर निकाली शोभायात्रा ...

» सराड़ा » मेनार » खेरोदा » खेरवाड़ा » बांसड़ा » कालीभींत » फतहनगर » ऋषभदेव » कल्याणपुर » सेमारी

राशि की खोला

कल्पिक मार्ग नहीं होने से वाहन लकों को बैरंग लौटना पड़ा

ग्रामीणों ने बुड़ैल गांव के निकट जाम ाया था जिससे झल्लारा व धरियावद दोनों फ से आने वाले वाहनों की लंबी कतार गई व वाहन चालकों को खासी परेशानी सामना करना पड़ा। वहीं अन्य कोई वैकल्पिक नहीं होने से राहगीरों को अपनी यात्रा स्त करनी पड़ी।

ज होगा अंतिम संस्कार

सड़क जाम कर सहायता राशि की मांग देर शाम करीब साढ़े सात बजे सहमति ने व रात हो जाने से शव का पोस्टमार्टम करवाया जा सका जिस पर बुधवार की व उदयपुर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम या जाएगा इसके बाद पैतृक गांव में अंतिम कार होगा।

के उल्लंघन पर जुर्माना

काटकर 46000 रुपए जुर्माना के तौर पर राजस्व की वसूली की गई।

सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर काटे चालान

न्यूज सर्विस नवज्योति/वल्लभनगर /सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर वल्लभनगर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच कर चालान बनाए गए। सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहनों की जांच कर जुर्माना वसूला गया।

पुलिस ने हेलमेट का प्रयोग करने, सीट बेल्ट, मोबाइल से बात न करने सहित अन्य यातायात नियमों की पालना करने के बारे में वाहन चालकों को निर्देश दिए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

लूणदा। दिगम्बर जैन समाज के चल रहे दसलक्षण महापर्व का सातवां दिन उत्तम तप धर्म दिवस भी उत्साह से मनाया गया। भगवान के अभिषेक के पश्चात सिद्ध भगवान के अर्घ्य दिए गए। पंडित वैभव शास्त्री ने प्रवचन देते हुए बताया कि उत्तम तप धर्म का दिन वास्तव में तप तो दिगंबर मुनि राज ही करते हैं लेकिन व्यवहार में हम भी तब कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है सिर्फ भूखे रहने का नाम तप नहीं है अपितु बाहर में भोजन छोड़ना एवं अंतरंग में कशाय छोड़ना एवं अपनी आत्मा के समीप रहना उसका नाम तप है। सोमवार शाम को भक्ति संध्या के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन बनेगा धर्म शिरोमणि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। सबसे ज्यादा सवाल के जवाब देने वाले को विजेता घोषित किया गया।

रेसला ज़िला सभाध्यक्ष राणा का स्वागत

नवज्योति/वल्लभनगर। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ उदयपुर के सभाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह राणा का रेसला जिला उदयपुर द्वारा उन्हें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्वागत अभिनन्दन किया गया। रेसला गिर्वा ब्लॉक अध्यक्ष ऋषिकेश गामोठ के नेतृत्व में रेसला पदाधिकारियों एवं व्याख्याताओं ने पगड़ी, माला, ऊपरणा द्वारा सिटी रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष मनीष सोनी एवं जिलामंत्री वीरभद्र सिंह बारहठ, जिला महिला मंत्री रूपाली चौहान भी उपस्थित रहे।

लिम्बड़िया बावजी स्थानक पर पौधरोपण

डबोक/मोतीखेड़ा। क्षेत्र में समाजसेवी महेंद्र सिंह देवड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवाओं के द्वारा डबोक लिम्बड़िया जी बावजी स्थानक पर 100 से अधिक पौधे रोपे। देखरेख का संकल्प लिया गया। भाजयुमो देहात जिला प्रभारी भरत भानु सिंह देवड़ा, डबोक भाजपा मण्डल अध्यक्ष कुलदीप सिंह चूंडावत, मण्डल महामंत्री राम लाल बंजारा, खेम सिंह देवड़ा, डबोक उपसरपंच ललित पालीवाल, महेंद्र सिंह देवड़ा, हरीश चौधरी, गजेन्द्र प्रजापत, ललित सिंह राव आदि उपस्थित रहे।

टक्कर से युवक की मौत: उदयपुर।

नाई थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से धन्ना-40 पुत्र लालू गमेती निवासी छोटी ऊंदरी महुआ फलां सोमवार शाम को कार ने टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गया था।

भारत मोबाईल टॉवर
न01 कम्पनी द्वारा अपनी खाली जमीन, छत, प्लॉट पर
4G/5G
हाईस्पीड टॉवर लगवायें और पायें
एकबार 60 लाख
किराया 2-6 लाख
हैल्पलाईन नम्बर
07980713054
DNA 257273

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय :- श्रीमती सोहन बाई एम.एल.न. 10/2019 (क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डस्पार'', ग्राम- खाम की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सोहन बाई एम.एल.न. 10/2019 (क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डस्पार'', ग्राम- खाम की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डस्पार माईन (एम.एल.नं. 10/2019, क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,71,756 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है :-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय- 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर
6) उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई **दिनांक 11.10.2022 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाम की मादड़ी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में** उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप **कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।** साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

DNU 258205

प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 3 रजत व 4 कांस्य
।। मुख्य प्रशिक्षक पंकज चौधरी ने बताया कि
राज्यों के 1600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग
र वर्ग में आराध्य चौधरी, हेयांश खंडेलवाल,
र्ण, हिमांगी शाह, नेत्रा श्रीमाली, नयनदीप राठौड़
ारी, कनिष्क पालीवाल व मनन खंडेलवाल ने
रोशन किया।

त्ती मनाई

युद्ध के स्थान पर पहाड़ों का उपयोग करके छापामार युद्ध प्रणाली के विकास का श्रेय भी महाराणा उदयसिंह को जाता है, इस युद्ध प्रणाली का प्रयोग कालांतर में मेवाड़ के अन्य महाराणाओं द्वारा भी किया गया। इसी सैन्य नीति का एक महत्वपूर्ण भाग था राज्य के साथ-साथ उसके संघर्ष को दिर्घजीवी रखने के लिये युद्ध में महाराणा व उनके परिवार को सुरक्षित रखना। इसी नीति के कारण सन् 1567-68 ई. में चित्तौड़ पर मुगल आक्रमण के समय मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा उदय सिंह द्वितीय व उनके परिवार को युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया व स्वयं लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुए।

ण-सुदामा के मिलन को दर्शाया

100 फिट रोड, नंद भवन में कथा के सप्तम दर्शाया गया। व्यासपीठ से संत श्री 1008 न की प्रत्येक परिस्थिति मे संतोष व धर्य रखना त मोक्ष की कथा र उसके बाद व्यासपीठ की आरती की गई। सयोंजक नरेन्द्र माली ने त कथा की पूर्णाहुती एवं दोपहर 11:15 बजे

मंगलवार को धरियावद सहकारी समिति कार्यालय में आवेदन नामांकन प्रक्रिया हुई जिसमें राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव अधिकारी विक्रम सिंह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदन के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। जानकारी अनुसार धरियावद सहकारी समिति में कुल 12 वार्डों के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई जिसमे कुल 23 आवेदन चुनाव अधिकारी को मिले, इस दौरान वार्ड

आवश्यक बैठक आज

धरियावद, 6 सितंबर। धरियावद ब्लाक के समस्त पंचायत सहायकों की आवश्यक बैठक बुधवार सुबह 11 बजे ब्लॉक अध्यक्ष लाभचंद लबाना की अध्यक्षता में क्षेत्र के केसरपुरा महू महादेव मंदिर प्रांगण पर आयोजित होगी। बैठक में पंचायत सहायकों के राज्यव्यापी आंदोलन एवं जयपुर महापड़ाव पर चर्चा की जाएगी।

जन अधिकार मंच धरियावद के बेनर तले ज्ञापन रैली का आयोजन

धरियावद, 6 सितंबर। जन अधिकार मंच धरियावद के बैनर तले मंगलवार को नगर में आम सभा ज्ञापन रैली का आयोजन हुआ। जिसमें मंच ने 2022 को वन अधिकार मान्यता कानून 2005 नियम 2008 की पालना मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु संख्या 200 के क्रम में ब्लॉक धरियावद के कुल 40 गांव के वन अधिकार समिति के सदस्य ,अध्यक्ष, सचिव आदि ने भाग लेते हुए रेली निकाल कर ज्ञापन दिया।। मंच के जवाहर सिंह डागुर ने बताया कि व्यक्तिगत और सामुदायिक परंपरागत वन अधिकार जिसमें चारों को लेकर गांव के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई।

ते में सौर ऊर्जा चलित पनघट का किया उद्घाटन

सोलर पनघट की लागत कीमत करीब 10 लाख रुपए है। एसटी मोर्चे के मंडल अध्यक्ष और गांव के किशन गमेती ने बताया कि इस सौर ऊर्जा से चलित इस पनघट से क्षेत्र के लोगो को पानी की कमी दूर होने के साथ बिजली की समस्या से नही जूझना पड़ेगा। पनघट उद्घघाटन के मौके पर विधायक प्रताप गमेती,बडगांव मंडल अध्यक्ष भुपाल सिंह राणा,बडगांव उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़, देहात जिला महामंत्री दीपक शर्मा,पंचायत समिति सदस्य मोहन गमेती,एसटी मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष शंभू गमेती आदि।

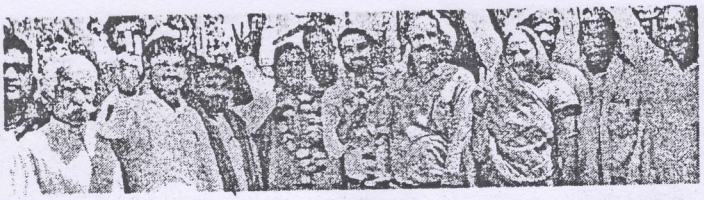

नंबर चार एवं वार्ड नंबर सात में महज एक एक आवेदन आने से वार्ड 4 ओर 7 में उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अलावा शेष 10 वार्डो के लिए आए आवेदनों की जांच बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए।

अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आज

उदयपुर, 6 सितम्बर। हिन्दू महासेना टाइगर फोर्स के तत्वावधान में कल दिंनाक 7 सितम्बर 2022 सांय 8.30 बजे स्थानीय सूरजपोल स्थित तांगा स्टेण्ड पर गणपति उत्सव के क्रम में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। हिन्दू महासेना के महन्त श्री श्याम बाबा ने बताया कि इस कार्यक्रम में रतलाम से श्री बृजराज सिंह बृज, भीलवाडा से श्री दिनेश बंटी, फालना से कविता किरण, निम्बाहेड़ा से कीर्ति विशेष, काछोली से श्री प्रभू प्रभाकर, इन्दौर से श्री सत्येन वर्मा और उदयपुर से श्री सिद्धेश्वर सिद्धू को आंमत्रित किया गया है।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org

क्रमांकः- गैराज/ननिउ/2022-23/516 दिनांकः- 01.09.2022

निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा विसर्जित प्रतिमाऐं (गणेश प्रतिमा एवं दुर्गा प्रतिमा) को उठा कर निश्चित स्थान तक पहुंचाने हेतु वाहन उपलब्ध कराने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारम्भ दिनांक 02.09.2022 तथा खुलने की दिनांक 07.09.2022 एवं अनुमानित लागत 4.50 लाख रू. है। UBN-UNP2223WSRL00086

आयुक्त

राज.संवाद/सी/22/7298

भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

rspcb

15 YEARS OF EMPOWERING THE MAHATMA

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- श्रीमती सोहन बाई एम.एल.न. 10/2019 (क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डस्पार'', ग्राम-खाम की मादडी, तहसील-मावली जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सोहन बाई एम.एल.न. 10/2019 (क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्डस्पार'', ग्राम-खाम की मादडी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डस्पार माईन (एम.एल.न. 10/2019, क्षेत्रफल 3.9324 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 1,71.756 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद मे मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई वायत आवेदन किया गया।

2. और चूकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकित कार्यालयो पर उपलब्ध है:-

1)कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर
2)सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए 216. अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4)क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कंन्द्रीय भवन, 5वांतल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ(उ.प्र.)
5)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर
6)उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला-उदयपुर
7)निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितियतल, उ-प(एसएसओ)भवन, सचिवालय, जयपुर।
8)क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 11.10.2022 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खाम की मादडी, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान मे एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध मे लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किय जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी